अनुसूचित जनजाति की महिलाओं का सशक्तीकरण

दीपक खांडेकर

सशक्तीकरण एक सतत प्रक्रिया है और जनजातीय मामलों का मंत्रालय इसको लेकर प्रतिबद्ध है। तमाम कोशिशों के बावजूद कई चुनौतियां बची हुई हैं, जिससे निपटा जा रहा है।

भारत में कुल 705 अनुसूचित जनजातियां अधिसूचित हैं। इसके अलावा, लगभग 75 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी तकरीबन 8.6 फीसदी है। 1961 में अनुसूचित जनजाति समुदाय की संख्या 3 करोड़ थी, जबकि 2011 में यह बढ़कर 10.4 करोड़ हो गई। 2011 की जनगणना के अनुसार, अनुसूचित जनजाति की कुल आबादी में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं की संख्या 5.19 करोड़ यानि कुल आबादी का 49.7 फीसदी है। अनुसूचित जनजाति समुदाय के सामाजिक ढांचे में हमेशा से महिलाओं का स्थान बेहतर रहा है। लिंगानुपात (प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या) आबादी का एक अहम पहलू है, जो महिलाओं को मिली सामाजिक अहमियत के बारे में बताता है। आदिवासी महिलाओं के मामले में यह स्थिति अब तक बेहतर रही है, जबकि बाकी आबादी के लिए यह चिंता की बात है। 2001 से 2011 की जनगणना के दौरान प्रति अनुसूचित जनजाति समुदाय में 1,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 978 से बढ़कर 990 हो गई। इस समुदाय के बीच जहां साक्षरता दर 73 फीसदी के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में साक्षरता दर 49 फीसदी है, जबकि अनुसूचित जनजाति के पुरुषों के बीच यह आंकड़ा 69 फीसदी है।

अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय की स्थापना 1999 में हुई थी। उस वक्त इसे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से अलग कर बनाया गया था। मंत्रालय बनाने का मकसद देश की जनजातीय आबादी की सामाजिक-आर्थिक हैसियत को बढ़ावा देना, उनकी गरिमा और संस्कृति का संरक्षण था। इसके जरिये मानव विकास सूचकांक के मामले में अन्य सामाजिक समूहों के मुकाबले अनुसूचित जनजातियों में मौजूद खाई को पाटने की दिशा में काम करने की बात है। इसके तहत परिणाम आधारित प्रणाली के जरिये काम करने प्रयास है और विशेष तौर पर अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, ढांचागत विकास पर फोकस का लक्ष्य है।

अनुसूचित जनजाति मामलों का मंत्रालय समुदाय की अहम दिक्कतों को दूर करने के लिए खास तौर पर इसके लिए बनाई गई शैक्षणिक, ढांचागत विकास और आजीविका संबंधी योजनाओं के जरिये जनजातीय समुदाय के विकास के लिए प्रतिबद्ध है।

भारत का संविधान न सिर्फ महिलाओं को बराबरी का हक देता है, बल्कि सरकार को महिलाओं के लिए सुविधाएं मुहैया कराने की खातिर उपाय करने का अधिकार भी देता है। संविधान में मौजूद इन प्रावधानों के अलावा अनुच्छेद 338 में संशोधन (89वां संशोधन) के जरिये राष्ट्रीय महिला आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति को मुहैया कराए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के अमल पर नजर रखता है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय की प्रमुख नीतियों का मकसद अनुसूचित जनजाति की महिलाओं और पुरुषों के लिए संपूर्ण विकास सुनिश्चित करना है।

अच्छी शिक्षा मुहैया कराना

मंत्रालय की एक फ्लैगशिप योजना एकलव्य मॉडल रिहायशी स्कूल है, जिसका फोकस अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराने पर है। इनमें प्रवेश पाने वाले छात्र-छात्राओं में लड़कियों की हिस्सेदारी 50 फीसदी से

लेखक भारत सरकार के अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय में सचिव हैं। ईमेल : secy-tribal@nic.in

भी ज्यादा है और पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों में इन लड़कियों का प्रदर्शन बेहद उमदा रहा है। आश्रम स्कूलों में भी कुछ इसी तरह का माहौल है, जहां अनुसूचित जनजाति समुदाय की लड़कियों पर फोकस है। सामान्य स्कूलों में भी अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए अनुकूल माहौल मुहैया कराने की खातिर अलग-अलग जगहों पर इस समुदाय की लड़कियों के लिए छात्रावासों का निर्माण किया गया है।

अनुसूचित जनजाति समुदाय की लड़कियों को विभिन्न स्तरों पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाती है।

कक्षा 9 और 10 में पढ़ने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्रों को मैट्रिक से पहले छात्रवृत्ति की जाती है। अनुसूचित जाति-जनजाति की छात्र-छात्राओं के लिए मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति को राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रशासन के जरिये लागू किया जाता है। इसके तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों में मैट्रिक के बाद के कोर्स की पढ़ाई करने पर छात्रवृत्ति दी जाती है। 'अनुसूचित जनजाति छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप के तहत अनुसूचित जनजाति के छात्रों को फेलोशिप के रूप में उच्च शिक्षा हासिल करने यानि एमफिल और पीएचडी कोर्स के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कुल फेलोशिप में 30 फीसदी हिस्सा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों/महिलाओं उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होता है। इसी तरह राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति (एनओएस) के तहत विदेश में परास्नातक, पीएचडी आदि की पढ़ाई करने के लिए चुनिंदा छात्र-छात्राओं को वित्तीय मदद मुहैया कराई जाती है। इसके तहत कुल 20 छात्रवृत्तियां दी जाती हैं, जिनमें 30 फीसदी अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए आरक्षित होती हैं। कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के बीच शिक्षा को मजबूत करने संबंधी अभियान के तहत वैसे जिलों में स्कूल चलाने के लिए एनजीओ को मदद भी दी जाती है, जहां अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में साक्षरता दर काफी कम है।

आर्थिक विकास की योजनाएं

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम अनुसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय के तहत एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था अनुसूचित जनजातियों के विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 'अनुसूचित जनजाति महिला सशक्तीकरण योजना (एएमएसवाई)' नाम से विशेष योजना पेश की गई है। इस योजना के तहत निगम एक लाख रुपये तक की योजनाओं के लिए 90 फीसदी तक वित्तीय सहायता मुहैया कराता है। यह वित्तीय सहायता बेहद सस्ती दर यानी 4 फीसदी सालाना ब्याज दर पर दी जाती है। निगम आय पैदा करने से जुड़ी अन्य योजनाओं के तहत भी महिला लाभार्थियों के लिए वित्तीय मदद मुहैया कराता है। इसके अलावा, छोटे जंगल उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, टीआरआईएफईडी आदि द्वारा जनजातीय कारीगरों को सहयोग आदि से भी बड़े पैमाने पर अनुसूचित जाति की महिलाओं को लाभ पहुंचा है।

महिलाओं की भागीदारी का प्रावधान

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) कानून, 2006 में सभी स्तरों पर महिलाओं की निर्बाध भागीदारी का प्रावधान है। इसके अलावा, इस कानून की धारा 4 (4) में कहा गया है, 'उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त अधिकार मौरूसी होंगे, लेकिन ये हस्तांतरणीय नहीं होंगे और विवाहित व्यक्ति के मामले में पति-पत्नी दोनों नाम से इनका संयुक्त पंजीकरण होगा। वन अधिकार समिति के प्रावधानों में दो तिहाई सदस्य अनुसूचित जनजाति के और कम से कम एक तिहाई सदस्य महिला होने की बात कही गई है।

जनजातीय उपयोजना को विशेष केंद्रीय सहायता योजना और संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान के जरिये राज्य और केंद्रीय मंत्रालय मिलकर अनुसूचित जनजाति की महिलाओं में कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए काम करते हैं।

अनुसूचित जनजाति शोध संस्थान इस समुदाय की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम चलाते हैं। जनजातीय इलाकों में सड़क की सुविधा, इस समुदाय से जुड़े हाटों समेत तमाम ढांचागत सुधार, प्रसंस्करण और भंडारण सुविधाओं की बेहतरी आदि के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। अनसूचित जनजाति मामलों के मंत्रालय ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर इस समुदाय के त्योहारों को प्रोत्साहित किया है। इस तरह की गतिविधियां अनुसूचित जनजाति की महिलाओं समेत इस पूरे समुदाय के लिए कला के विभिन्न रूपों में अपनी प्रतिभा और कौशल दिखाने के माध्यम होती हैं।

मंत्रालय विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने में कमियों को दूर करने और बाकी मंत्रालयों के प्रयासों में सहयोग मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्रालय का 50 फीसदी से भी ज्यादा का बजट मुख्य तौर पर शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका जैसे क्षेत्रों में खर्च किया जाता है, जिससे अनुसूचित जनजाति आबादी खास तौर पर इस समुदाय की महिलाओं को फायदा हुआ है। दूर-दराज के इलाके तक पहुंचने में एनजीओ की अहम भूमिका को देखते हुए मंत्रालय वैसे कई एनजीओ को भी सहयोग दे रहा है, जो इन इलाकों में अनुसूचित जनजाति आबादी को स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं प्रदान करन में सक्षम रहे हैं।

सशक्तीकरण एक सतत प्रक्रिया है और जनजातीय मामलों का मंत्रालय इसको लेकर प्रतिबद्ध है। तमाम कोशिशों के बावजूद कई चुनौतियां बची हुई हैं, जिससे निपटा जा रहा है। मोटे तौर पर सामान्य आबादी व अनुसूचित जनजाति और विशेष तौर पर अनुसूचित जनजाति के बीच मौजूद विषमता को दूर करने की जरूरत है। मंत्रालय की तरफ से हाल में इस दिशा में किए जा रहे प्रयास के अच्छे परिणाम आ रहे हैं और सरकार उन्हें मुख्यधारा में लाने के अपने प्रयासों को दोगुना करेगी। साथ ही, इस प्रयास में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वे अपने जड़ों से जुड़े रहें और अपनी संस्कृति और परंपराओं को सुरक्षित रख सकें। ❑